



उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद(यूकॉस्ट)  
सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग (उत्तराखण्ड शासन)  
विज्ञान धाम, झाजरा, देहरादून – 248015

खुली निविदा संख्या:- 03/2024-25/25835

दिनांक : 20 जून, 2024

## निविदा सूचना

उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट), देहरादून द्वारा वाहनों की सेवायें लेने हेतु सक्षम, अनुभवी एवं प्रतिष्ठित ट्रैवल एजेंट्सियों से दिनांक 10 जुलाई, 2024 को पूर्वाह्न में 11:00 बजे तक दो बोली प्रणाली में निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। सम्बन्धित विस्तृत निविदा सूचना परिषद (यूकॉस्ट) की वेबसाइट [www.ucost.uk.gov.in](http://www.ucost.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। इच्छुक निविदादाता विस्तृत निविदा सूचना को उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

महानिदेशक, यूकॉस्ट को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रभारी—प्रशासन/स्थापना



उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद(यूकॉस्ट)  
सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग (उत्तराखण्ड शासन)  
विज्ञान धाम, झाजरा, देहरादून – 248015

खुली निविदा संख्या:- 03 / 2024-25 / 25835  
दिनांक : 20 जून, 2024

## निविदा सूचना

उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट), देहरादून द्वारा **संलग्न एनेक्जर-क** में वर्णित विवरणानुसार वाहनों की सेवायें लेने हेतु सक्षम, अनुभवी एवं प्रतिष्ठित ट्रेवल एजेन्सियों से **दो बोली प्रणाली में (in two bid system)** निम्नवर्णित नियमों और शर्तों (terms & condition) पर 02 वर्ष की अवधि हेतु, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है, मुहरबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं:-

1. निविदादाता के पास अपने या अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर पंजीकृत कम से कम 10 वाहन, जो 05 वर्ष से अधिक पुराने न हों, होने चाहियें। निविदादाता की तकनीकी बोली (technical bid) के साथ उन सभी वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (RCs) की **स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ** संलग्न की जायें।
2. निविदादाता का पिछले 03 वित्तीय वर्षों, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर रू. 5000000 (रूपये पचास लाख मात्र) होना चाहिये और टर्न ओवर की **चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ** तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जानी चाहियें।
3. निविदादाता का पिछले 03 वित्तीय वर्षों, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 की आयकर निर्धारण आदेशों/आयकर रिटर्न्स की **स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ** तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जायें।
4. निविदादाता के पास सरकारी विभागों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थानों को वाहनों की सेवायें उपलब्ध कराने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। सम्बन्धित अनुभव प्रमाणपत्रों की **स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ** तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जायें।
5. तकनीकी बोली के साथ रू. 25000 (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की बयाना राशि (**Earnest Money Deposit**) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से महानिदेशक, यूकॉस्ट, देहरादून के नाम से बने अकाउन्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट या पे आर्डर के रूप में तकनीकी बोली के साथ लगायी जाये। निविदा खुलने के बाद किसी भी शर्त का पालन न करने या अपनी निविदा का सम्मान न करने पर निविदादाता द्वारा जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी।

6. सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर वाहनों में कोई भी तकनीकी खराबी आने पर उसके तात्कालिक मरम्मत कराये जाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। खराब हुये वाहन की मरम्मत में अधिक विलम्ब होने पर निविदादाता को बिना अतिरिक्त चार्ज के दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा।
7. सफल निविदादाता द्वारा वाहन के साथ उपलब्ध कराये गये चालक व्यवहार कुशल, ईमानदार और वाहन रख-रखाव का समुचित ज्ञान रखने वाले होने चाहियें। चालक के व्यवहार, ईमानदारी या कार्यकुशलता में कोई भी कमी पाये जाने पर उसे तुरंत बदलना होगा।
8. यूकॉस्ट के उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों को उपयोग की अवधि के दौरान साफ-सुथरा रखने की जिम्मेदारी सफल निविदादाता के सम्बन्धित चालक की होगी।
9. सफल निविदादाता द्वारा सम्बन्धित बिल/बीजक के साथ मूल रसीद उपलब्ध कराये जाने पर मार्ग में देय टोल टैक्स का भुगतान यूकॉस्ट द्वारा किया जायेगा।
10. सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन के रखरखाव तथा वाहन/चालक की सुरक्षा या वाहन चालक को देय वेतन/भत्तों के भुगतान या अन्य सुविधाओं की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। यूकॉस्ट की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र/बीमा प्रमाणपत्र/पौल्यूशन प्रमाणपत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
12. **नियम व शर्त (term and condition) संख्या '1' से '5' में वर्णित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जायें। ऐसा न करने पर तकनीकी बोली को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। तकनीकी बोली को एक सीलबन्द लिफाफे में रखा जाय जिस पर मोटे अक्षरों में "वाहनों की सेवाओं हेतु दिनांक 10-07-2024 को खोले जाने वाली तकनीकी बोली" लिखा जाय।**
13. निविदादाता द्वारा अपनी वाणिज्यिक बोली (commercial bid) संलग्न एनेक्जर-क पर दी जायें, जिस पर निविदादाता के हस्ताक्षर किये जायें और हस्ताक्षर के नीचे मोहर लगायी जाय। वाणिज्यिक बोली को अलग सीलबन्द लिफाफे में, जिसके ऊपर मोटे अक्षरों में "वाहनों की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु वाणिज्यिक बोली" लिखा जाय।
14. तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली के लिफाफों को एक तीसरे सीलबन्द लिफाफे में जिस पर मोटे अक्षरों में " वाहनों की सुविधाओं हेतु दिनांक 10.07.2024 को खुलने वाली निविदा" लिखा हो, में रखकर रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाय।
15. निविदाओं को रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाय। अन्य किसी माध्यम से भेजी गयी निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

16. निविदादाताओं द्वारा रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से भेजी गयी निविदायें दिनांक 10-07-2024 को पूर्वाह्न में 11:00 बजे तक पहुँच जानी चाहियें। प्राप्त निविदाओं के अन्तर्गत केवल तकनीकी बोलियाँ दिनांक 10-07-2024 को ही अपराह्न में 03:00 बजे निविदादाताओं के उपस्थित प्रतिनिधियों के सामने खोली जायेंगी। जिन निविदादाताओं की तकनीकी बोली उपयुक्त पायी जायेगी केवल उन्हीं निविदादाताओं की वाणिज्यिक बोली को बाद में खोला जायेगा। वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि सम्बन्धित निविदादाताओं को बाद में सूचित की जायेगी। किसी भी कारणवश उस दिन यूकॉस्ट में अवकाश होने पर निविदायें अगले कार्यदिवस को अपराह्न में 15:00 बजे खोली जायेंगी।
17. देरी से प्राप्त या बिलम्बित निविदाओं (late or delayed tenders) पर विचार नहीं किया जायेगा। अतः निविदादाता अपनी निविदायें समय पर भेजना/पहुँचना सुनिश्चित करें।
18. सफल निविदादाता को धरोहर राशि के रूप में रु. 50,000/—(रूपये पचास हजार मात्र) की राशि महानिदेशक, यूकॉस्ट के नाम से न्यूनतम 02 वर्ष के लिये बनी सावधि जमा रसीद (Term Deposit Receipt) के रूप में जमा करनी होगी। सफल निविदादाता द्वारा जारी अनुबन्ध की किसी भी शर्त का पालन न करने पर महानिदेशक को अपने विवेक से जमा धरोहर राशि को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप में जब्त करने का अधिकार होगा।
19. सफल निविदादाता के बिल के साथ यात्रा करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये हुये ड्यूटी स्लिप संलग्न करना और बिल को यात्रा करने वाले अधिकारी से सत्यापित करवाना आवश्यक होगा।
20. महानिदेशक, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

संलग्नक: एनेक्जर-क

प्रभारी-प्रशासन/स्थापना

उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) को विभिन्न वाहनों की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत करें।

| क्र. सं. | वांछित वाहन सेवाओं का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                 | निवेदित दर     |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अकों में (रु.) | शब्दों में (रु.) |
| 1.       | देहरादून जिले की सीमा के भीतर 08 घण्टे की अवधि और 80 कि.मी. की दूरी हेतु वाहन की सुविधा:-<br>(क) i. स्विफ्ट डिजायर या समकक्ष वाहन के लिये दर प्रतिदिन।<br>ii. 08 घण्टे प्रतिदिन से अधिक की अवधि के लिये दर प्रति अतिरिक्त घण्टा।<br>iii. 80 कि.मी. प्रतिदिन से अधिक दूरी के लिये दर प्रति अतिरिक्त किलोमीटर |                |                  |
|          | (ख) i. आर्टिगा या समकक्ष वाहन के लिये दर प्रतिदिन।<br>ii. 08 घण्टे प्रतिदिन से अधिक की अवधि के लिये दर प्रति अतिरिक्त घण्टा।<br>iii. 80 कि.मी. प्रतिदिन से अधिक दूरी के लिये दर प्रति अतिरिक्त किलोमीटर                                                                                                     |                |                  |
|          | (ग) i. इनोवा या समकक्ष वाहन के लिये दर प्रतिदिन।<br>ii. 08 घण्टे प्रतिदिन से अधिक की अवधि के लिये दर प्रति अतिरिक्त घण्टा।<br>iii. 80 कि.मी. प्रतिदिन से अधिक दूरी के लिये दर प्रति अतिरिक्त किलोमीटर                                                                                                       |                |                  |
|          | (ग) i. टैम्पो ट्रैवलर या समकक्ष वाहन के लिये दर प्रतिदिन।<br>ii. 08 घण्टे प्रतिदिन से अधिक की अवधि के लिये दर प्रति अतिरिक्त घण्टा।<br>iii. 80 कि.मी. प्रतिदिन से अधिक दूरी के लिये दर प्रति अतिरिक्त किलोमीटर                                                                                              |                |                  |
| 2.       | देहरादून जिले की सीमा से बाहर फील्ड ड्यूटी या परिषद (यूकॉस्ट) के किसी भी कार्य हेतु वाहन की सुविधा:-<br>(क) i. स्विफ्ट डिजायर या समकक्ष वाहन के लिये दर प्रति किलोमीटर।<br>ii. रात्रि विश्राम चार्ज प्रति रात्रि                                                                                            |                |                  |
|          | (ख) i. आर्टिगा या समकक्ष वाहन के लिये दर प्रति किलोमीटर।                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |

|  |                                                                                                            |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | ii. रात्रि विश्राम चार्जेज प्रति रात्रि                                                                    |  |  |
|  | (ग) i. इनोवा या समकक्ष वाहन के लिये दर प्रति किलोमीटर।<br>ii. रात्रि विश्राम चार्जेज प्रति रात्रि          |  |  |
|  | (घ) i. टैम्पो ट्रैवलर या समकक्ष वाहन के लिये दर प्रति किलोमीटर।<br>ii. रात्रि विश्राम चार्जेज प्रति रात्रि |  |  |

निविदादाता के प्रधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नाम :

मुहर :